कार्यालय जिला पंचायत भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक / जि.प. / 2018 / 2983

भोपाल दिनांक 28/05/18

/ / ई–निविदा विज्ञप्ति / /

भोपाल जिले में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के परिचय पत्र एवं ब्रोशर का मुद्रण करवाया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु सोल प्रोपराइटरशिप / पार्टनरशिप / भारतीय कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों से निविदा में उल्लेखित समस्त शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है। उक्त कार्य हेतु धरोहर राशि रूपये 1,00,000 /– एवं आवेदन का शुल्क रूपये 5,000 /– का बैंक ड्राफ्ट, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल के नाम से देय होगा। निविदा का विस्तृत विवरण जिनमें ई–निविदा की शर्तें इत्यादि की जानकारी विस्तार जिला पंचायत भोपाल की वेबसाइट www bhopal.nic.in पर भी उपलब्ध है। जिला पंचायत भोपाल अंतर्गत ई–निविदा के माध्यम से निविदाएं दिनांक 11 / 06 / 2018 को सांय 05.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। आनलाईन निविदा फार्म क्रय दिनांक 28 / 05 / 2018 एवं आनलाईन निविदा फार्म क्रय अंतिम दिनांक 08 / 06 / 2018 समय सांय 05.30 तक नियत है। निविदा फार्म शर्तो में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 11 / 06 / 2018 को सांय 05.30 बजे तक जमा की जा सकेगी एवं दिनांक 12 / 06 / 2018 को तकनीकी निविदा दोपहर 12.00 बजे तथा वित्तीय निविदा 12 / 06 / 2018 को सांय 05.00 बजे जिला पंचायत भोपाल के सभा कक्षा में खोली जावेगी। किसी भी प्रकार का संशोधन पोर्टल अपलोड किया जावेगा। तकनीकी समस्या एवं अधिक जानकारी हेतु कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल से सम्पर्क किया जा सकता है।

क्र.	कार्य विवरण	आकार	पेपर क्वालिटी	कलर	संख्या
1	परिचय पत्र (स्मार्ट कार्ड) जिसमें पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन क्रमांक, नाम, पता, जन्म तिथी, मोबाईल नं. जारीकर्ता कार्यालय का नाम, दिनांक एवं वैधता की अवधि की जानकारी होगी तथा यह क्यूआर.कोड में भी परिचय पत्र पर अंकित होगी। पंजीकृत श्रमिकों के परिचय पत्र में दर्ज की जाने वाली जानकारी एक्सेल शीट में प्रदान की जावेगी । जिसके आधार पर परिचय–पत्र उक्तानुसार प्रिंट किये जायेंगे।	5.5 से.मी.X 8.5 से.मी.	300 GSM WITH 30 MICRONELAMINATION SHEET	INTERACTIVE FILL ORANGE	संख्या 04 लाख जो कि आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा हो सकती है।
2.	ब्रोशर (जानकारी पुस्तिका) ए–4 साइज कागज पर 3–फोल्ड आकार में	ए – 4	100	रंगीन	संख्या 04 लाख जो कि आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा हो सकती है।

शासन द्वारा प्रति (स्माट कार्ड तथा ब्रोशर संयुक्त) अधिकतम 10 /– रूपये बजट सीमा निर्धारित की गई है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत भोपाल म.प्र.

निविदा प्रक्रिया :–

1. निविदा के समस्त दस्तावेज प्रिंट करके प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर कर रबर मुहर लगानी होगी इससे यह प्रमाणित होगा कि निविदादाता ने समस्त शर्तो को ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लिया है एवं वह समस्त शर्तो से सहमत है।
2. परिशिष्ट–अ अनुसार स्वहस्ताक्षरित कव्हरिंग लेटर प्रस्तुत करना होगा।
3. परिशिष्ट–ब अनुसार समस्त जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।
4. परिशिष्ट–स अनुसार तकनीकी निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
5. परिशिष्ट–द अनुसार वित्तीय निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
6. परिशिष्ट–ध अनुसार निविदा दिनांक एवं समय।
7. निविदा प्रक्रिया में समस्त दस्तावेज व ओरिजनल डी.डी जो कि निविदा प्रपत्र तथा धरोहर राशि की डी.डी / एफडीआर "मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भोपाल" के नाम से देय हो उक्त समस्त दस्तावेज / प्रति दिनांक 11 / 06 / 2018 को समय सांय 05.30 बजे तक सील्ड लिफाफे में जिला पंचायत भोपाल में जमा कराना सुनिश्चित करना होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत भोपाल

कार्य का विवरण (स्कोप– आफ –वर्क)

1 **परिचय** :– भोपाल जिले में पंजीकृत असंगठित श्रमिकों के परिचय पत्र एवं ब्रोशर का मुद्रण करवाया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु सोल प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/भारतीय कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों से निविदा में उल्लेखित समस्त शर्तो के अधीन निविदा आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त कार्य के अंतर्गत निम्नलिखि कार्य भी सम्मिलित होगा।

1. परिचय पत्र (स्मार्ट कार्ड) जिसमें पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन क्रमांक ,नाम, पता, जन्म तिथी, मोबाईल नं. जारीकर्ता कार्यालय का नाम, दिनांक एवं वैधता की अवधि की जानकारी होगी तथा यह क्यू.आर.कोड में भी अंकित होगी। प्रारूप संलग्न ।
2. ब्रोशर ए–4 साइज कागज पर 3–फोल्ड आकार में मुद्रित स्पष्ट, पठनीय एवं गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिये। प्रारूप संलग्न ।
3. परिचय पत्र, ब्रोशर प्रिटिंग में कोई भी संकेत अथवा मुद्रक का नाम दूरभाष नंबर अथवा संकेत मुद्रित नहीं किया जायेगा।
4. मुद्रित किये गये स्मार्ट कार्ड परिचय पत्र एवं ब्रोशर चयनित निविदाकर्ता को संबंधित कार्यालय को आदेश अनुसार परिवहन किया जाकर रसीद/चालान कार्यालय जिला पंचायत भोपाल जमा किया जाना अनिवार्य होगा। जिसका पृथक से कोई भुगतान देय नही होगा।
5. निविदाकार द्वारा प्रस्तुत दर में समस्त प्रकार के कर सम्मिलित होंगे। पृथक से किसी भी प्रकार का कर/शुल्क देय नहीं होगा।
6. शासन द्वारा स्मार्ट कार्ड तथा ब्रोशर के मुद्रण हेतु संयुक्त रूप से रू0 10/– अधिकतम दर निर्धारित की गई है।

2. **पंजीकृत फर्म पात्रता** :–

1. पंजीकृत फर्म किसी भी प्रकार की सोल प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/भारतीय कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये।
2. पंजीकृत फर्म का पंजीयन नियमानुसार अधिनियम के तहत किया गया हो।
3. पंजीकृत फर्म को तीन वर्ष (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) कार्य का अनुभव होना चाहिये।
4. पंजीकृत फर्म के पास फर्म के नाम से पेन नम्बर होना अनिवार्य है।
5. पंजीकृत फर्म के पास ज़ी.एस.टी नम्बर होना अनिवार्य है।
6. पंजीकृत कम्पनी होने के दशा में CIN नम्बर होना अनिर्वाय है।
7. पंजीकृत फर्म का क्षेत्रीय कार्यालय होना आवश्यक है।
8. पंजीकृत फर्म का सी.आई.एन नम्ब आवश्यक हैं।
9. पंजीकृत फर्म किसी भी विभाग/निकाय द्वारा काली सूची में दर्ज न किया गया हो।
10. सोल प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कम्पनी का अनुभव संबंधी विवरण
    1. 31 मार्च 2015 से पूर्व का पंजीयन होना चाहिये।
    2. संस्थान द्वारा राज्य शासन/केन्द्र शासन/अन्य संस्थानों के लिये किये गये कार्य का न्यूनतम तीन कार्यदेश संलग्न करना आवश्यक है।

    3. गत तीन वर्षो (2015–16, 2016–17 एवं 2017–18) में से किसी एक वर्ष में टर्न ओव्हर 50 लाख होना चाहिये, जो सी.ए. द्वारा प्रामाणित होना चाहिये। 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 का आई. टी रिर्टन प्रस्तुत करना होगा।